संदर्भ: सं. ईआई-डी/पीएंडए/4-11/2020 **दिनांक: 11.05.2023**

ईआरनेट इण्डिया की स्थानांतरण नीति

ईआरनेट इंडिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकि मंत्रालय (माईटी),भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसे अग्रणी आईसीटी बुनियादी ढांचे की स्थापना में शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को सेवाएं देने का कार्य सौंपा गया है। ईआरनेट इंडिया आईसीटी परियोजना परामर्श सेवाओं, स्थलीय एवं सेटेलाइट नेटवर्कों के क्षेत्र में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यान्वयन, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण,वेब-होस्टिंग सेवाओं, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए स्मार्ट वर्चुअल क्लास रूम और हाई रिज़ॉल्यूशन ई-क्लास रूम की स्थापना, कॉलेजों के लिए एज्युरोम सेवाएं प्रदान करना,विश्वविद्यालयों में वाई-फाई परिसर की स्थापना,पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे दूरस्थ क्षेत्रों सहित भारत में शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इसके अलावा,ईआरनेट इंडिया डेटा केन्द्रों आदि स्थापित करने के क्षेत्र में भी कार्य करता है।

वर्तमान में, ईआरनेट इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके दो क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई तथा बेंगलोर में हैं। भविष्य में और अधिक केंद्र खोले जा सकते हैं। ईआरनेट इंडिया द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर हैं और इसलिए ईआरनेट इंडिया के दृष्टिकोण,मिशन तथा सौंपे गए कार्य पर विचार करते हुए कार्मिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना संगठन के हित में आवश्यक हो गया है।

1. इस नीति के प्रयोजन और उद्देश्य:-

i) भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ावा देना।
ii) भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख पदों की प्रतिभा और क्षमता में वृद्धि करना।
iii) कार्य आवश्यकताओं में उतार-चढ़ावों से निपटना।
iv) कर्मचारियों को विभिन्न कार्य वातावरण में स्वयं को विकसित करने (कौशल सेट/ज्ञान/अधिगम/अनुकूलन को बढ़ावा देना) का अवसर प्रदान करना।

2. कार्यक्षेत्र:-

यह नीति ईआरनेट इंडिया के सभी कर्मचारियों (नियमित और अनुबंध) पर लागू होगी।

3. प्राधिकार:-

ईआरनेट इंडिया के उपनियमों के खंड 7.4.12 के अनुसार, सोसाइटी के स्टाफ के सदस्यों को सोसाइटी के किसी भी कार्यालय/इकाईयों/पीओपी में सेवाएं प्रदान करने के लिए महानिदेशक के विवेकाधिकार से भारत या विदेश में कहीं भी स्थानांतरित/तैनात किया जा सकता है। इस तरह के स्थानांतरण/तैनाती विशुद्ध रूप से सोसाइटी के हित में किए जाएंगे।

जारी....

4. कार्यकाल:-

एक कार्यालय स्थान से दूसरे कार्यालय स्थान पर स्थानांतरण पर विचार करने के लिए सामान्यत: किसी स्थान/इकाई विशेष में 03 वर्ष का कार्यकाल अपेक्षित होगा। हालांकि,यह समय-सीमा निर्धारण उसी एक ही स्थान पर नौकरी वर्तन (रोटेशन)के मामले में लागू नहीं है। इसके अलावा, यदि कर्मचारी एक वर्ष के भीतर अधिवर्षिता प्राप्त करने वाला होगा,तो उसे उसी कार्यालय स्थान/इकाई में बनाए रखा जाएगा जहां उसे तैनात किया गया हो।

5. सामान्य सिद्धांत और स्थानांतरण के आधार:-

A. सिद्धांत:

(a) **कार्यकाल आधारित:-** स्थानांतरण/तैनाती पर विचार, संगठन के हित में विभिन्न केंद्र/कार्यालय/इकाई स्थानों पर चक्रीय (रोटेशनल) तैनातियों के उद्देश्य से किया जाएगा।

(b) **अनुरोध आधारित:-** कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण/तैनाती,ऐसे अनुरोध पर विचार ,अनुरोध किए गए केंद्र में पद रिक्त होने के आधार पर तथा संगठन के हित में किया जाएगा।

B. आधार:-

i) संगठन के उद्देश्यों/अधिदेश को प्राप्त करने के लिए जनशक्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों में जनशक्ति के वितरण हेतु।
ii) जनशक्ति की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संतोषजनक कैरियर प्रगति और विभिन्न नए ज्ञानार्जन अवसर प्रदान करने हेतु।
iii) स्थानांतरण और तैनाती कार्यवाही के दौरान संगठन के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा।
iv) किसी इकाई विशेष में स्थानांतरण को अधिकार के मामले के रूप में दावाकृत नहीं किया जा सकता।

C. प्रक्रिया:- ईआरनेट इंडिया मुख्यालय प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को पर्याप्त, कमी या अधिशेष जनशक्ति का विशेष उल्लेख करते हुए जनशक्ति सूची तैयार करेगा और इसे उपयुक्त निर्णय हेतु महानिदेशक, ईआरनेट इंडिया को प्रस्तुत किया जाएगा।

D. आदेश का अनुपालन और पालन:- संबद्ध अधिकारी/कर्मचारी/स्टाफ के मामले में स्थानांतरण आदेश जारी करने पर कार्यमुक्त करने वाला अधिकारी उक्त आदेश जारी होने से 10 दिनों के भीतर स्थानांतरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। अनुपालन नहीं किए जाने को कदाचार कृत्य समझा जाएगा और ईआरनेट इंडिया के आचरण नियमों के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

जारी....

6. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के होते हुए भी, महानिदेशक, जैसे और जब अपेक्षित हो, सेवा के हित में किसी केन्द्र/इकाई/पद विशेष में/से अधिकारी(यों) को स्थानांतरित या बनाये रख सकते हैं।

7. ऐसे मामले में जहां अधिकारी उचित माध्यम से इतर अन्य माध्यमों से स्थानांतरण को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, ईआरनेट इंडिया के उपनियमों के खंड 7.13.2.47 के उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई(यां) की जाएगी जिसमें यह कहा गया है कि "कोई भी कर्मचारी सोसाइटी के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठतर प्राधिकारी पर कोई बाहरी प्रभाव प्रवृत्त नहीं करेगा या प्रवृत्त करने का प्रयास नहीं करेगा"।

8. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

11/05/23